

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 146/2024
दायर दिनांक :- 25.09.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/241
निर्णय दिनांक :- 22.12.2024

1. अजयकंवर पत्नी जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी के 61 प्रेम निवास देवी रोड़ के पीछे कमला नेहरू नगर जोधपुर

वादी.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

--:: निर्णय ::--

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादिनी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 282/6 रकबा 5.3904 हैक्टेयर सरहद मौजा दुर्जनी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप में स्थित है। वादिनी के नाम से वादिनी के पिता ने जरिये कुदरती वली पिता की हैसियत से उक्त भूमि खरीद की थी जिसमें वादिनी के बचपन का एवं बोलता नाम अनीता पुत्री मगसिंह टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी जाकर स्वीकृत हो चुका है। लेकिन वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम अजय कंवर पत्नी जसवंतसिंह है इसी नाम से ही वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बने हुवे हैं तथा वादिनी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादिनी का नाम अनीता पुत्री मगसिंह दर्ज होने से वादिनी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादिनी ने दिनांक 15.08.2024 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादिनी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादिनी ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 282/6 रकबा 5.3904 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम अनीता पुत्री मगसिंह के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम अजय कंवर पत्नी जसवंतसिंह के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह दावा पेश है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश


सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि वादिनी अजय कंवर पत्नी जसवंतसिंह का राजस्व रेकॉर्ड में अनीता पुत्री मगसिंह दर्ज है तथा इनके पहचान के दस्तावेज में नाम अजय कंवर पत्नी जसवंतसिंह दर्ज है वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादिनी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई एजराज नहीं है। इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादिनी के भाई प्रवीणसिंह पुत्र मगसिंह के बयान पी.डब्ल्यू-1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्बन्ध 2075-2078 ग्राम दुर्जनी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 282/6 रकबा 5.3904 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अनीता पुत्री मगसिंह दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, अंक विवरणिका-सह प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत टापू द्वारा जारी प्रमाण-पत्र इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम अजय कंवर पत्नी जसवंतसिंह है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये हैं। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दुर्जनी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 282/6 रकबा 5.3904 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकॉर्ड में गलत दर्ज नाम अनीता पुत्री मगसिंह के स्थान पर अजय कंवर पत्नी जसवंतसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. अजयकंवर पत्नी जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी के 61 प्रेम निवास देवी रोड़ के पीछे कमला नेहरू नगर जोधपुर

वादी.....

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :- 146/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम दुर्जनी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप के खसरा नम्बर 282/6 रकबा 5.3904 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम अनीता पुत्री मगसिंह के स्थान पर अजय कंवर पत्नी जसवन्तसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।



22/12/24
(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.) कटर
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।